

विधुत सामग्री हेतु बोली प्रपत्र सं०

अनुमानित मूल्य 1.50 लाख

(फर्म/व्यक्ति का नाम व पता)
मय दूरभाष संख्या एवं फैक्स नम्बर

सेवामें,

महा निदेशक महोदया,
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जयपुर-302017

विषय:- संस्थान द्वारा विधुत सामग्री की सप्लाई हेतु खुली बोली आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत हम आपके संस्थान द्वारा आमंत्रित की गई खुली बोली के अन्तर्गत विधुत सामग्री की सप्लाई करने की दरें संलग्न बोली पत्र में प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें बोली की समस्त शर्तें स्वीकार हैं तथा अनुबन्ध की सम्पूर्ण अवधि में हम इनका पालन करने के लिये बाध्य रहेंगे।

बोली प्रतिभूति राशि के रूपयें..... का बैंक डाफ्ट संख्या.....
.....दिनांक.....संलग्न है।

धन्यवाद,

भवदीय,

(हस्ताक्षर मय सील)

राजस्थान-सरकार
ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर-302017
बोली प्रपत्र

1. बोली जिस वस्तु के लिये है उसका नाम:- विधुत सामग्री
2. फर्म का नाम एवं पता :.....
.....
3. दूरभाष नम्बर व फ़ैक्स नम्बर.....
.....
4. विज्ञापन संख्या व दिनांक.....
5. बोली फार्म का शुल्क रूपये 200/- रसीद संख्या
दिनांक..... डीडी/चैक नम्बर..... दिनांक..... के
द्वारा जमा करा दी गई है।
6. हमने ह0च0मा0 रीपा जयपुर बोली की समस्त शर्तों को भली प्रकार
से पढ लिया है तथा बोली सूचना संख्या..... दिनांक..... में
वर्णित सभी शर्तों की सहमति में हस्ताक्षर कर दिये है। उक्त बोली सूचना की अतिरिक्त
शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
7. आपूर्ति किये जाने वाले सामान की दरें व मात्रा संलग्न अनुसूची ए पृष्ठ संख्या 5 से
7 में दे दी है।
8. सामग्री का आदेश प्राप्त होने पर 15 दिवस में सामान आपूर्ति करेंगे।
9. उक्त दरें 01.07.2015 से 30.6.2016 तक मान्य होगी दोनों पक्षों की सहमति से उक्त
अवधि को नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है व सामान की मात्रा घटाई, बढ़ाई जा
सकेगी।
10. बोली प्रतिभूति के पेटे नकद बैंक डाफ्ट/बैंकर्स चैक नम्बर बैंक का नाम.....
.....
..... प्राप्ति रसीद नं0..... दिनांक..... रूपये.....
..... संलग्न है।
11. निर्माता/डीलर की धोषणा का प्रमाण-पत्र संलग्न है।
12. आवश्यकता होने पर सेम्पल प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
13. इसके साथ आयकर चुकता प्रमाण-पत्र वेट पंजीयन एवं बिक्री कर चुकता
प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

हस्ताक्षर बाली दाता

- सूची के अनुसार विधुत सामग्री की आवश्यकता है।
2. उक्त सामग्री एक साथ न क्रय करके संस्थान की आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। फर्म/व्यक्ति/संस्था आदि द्वारा जो दरें दी जावे वह दिनांक 30.6.2016 तक के लिये मान्य होगी।
 3. बोली के साथ बतौर बोली प्रतिभूति राशि 2 प्रतिशत विधुत सामग्री हेतु रुपये 3000/- का डिमाण्ड डाफ्ट जो महा निदेशक, ह0च0मा0 रीपा जयपुर, के नाम देय हो बोली के साथ सलंगन करें। बिना अमानत राशि के प्राप्त बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
 4. बोली दिनांक 15.06.2015 को मध्यान्ह 1.30 बजे तक स्वीकार की जायेगी तथा इसी दिन सांयकाल 3.00 बजे उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
 5. सफल बोली दाता को 500/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुमोदन की तिथि से 7 दिवस के भीतर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार अनुबन्ध करना होगा तथा संविदा की शर्तों को भली-भाँति निभाना होगा।
 6. अनुबन्ध के साथ नियमानुसार 5 प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति की राशि भी जमा करानी होगी।
 7. बतायी गयी सामग्री में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। जिसके लिए अलग से बोली नहीं की जावेगी।
 8. संस्थान न्यूनतम बोली दाता की दरें स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। किसी भी बोली को बिना कारण बतायें निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार संस्थान का होगा।
 9. सप्लाई किये जाने वाले सामान की कम्पनी का नाम/मेक अवश्य लिखें आई0 एस0 आई0 मार्का जिस पर लागू हो आई.एस.आई. मार्का सामग्री की ही आपूर्ति की जावें।
 10. बिक्री कर पंजीयन प्रमाण-पत्र कर चुकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
 11. प्रत्येक आईटम का मूल्य व बिक्री कर/सेवा कर यदि लागू हो तो प्रथक-प्रथक दर्शाया जायेगा अन्यथा मूल्य में सम्मिलित माना जायेगा। निर्धारित अवधि में आपूर्ति नहीं करने पर अथवा बिलम्ब से सप्लाई करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
 12. बोली वास्तविक डीलरों एवं निर्माताओं द्वारा ही दी जायेगी।
अतः एस0 आर0 प्रारूप II में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

13. बोली प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकित किया जाएगा पैसिल से भरी गई किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली दाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
14. दरें शब्दों व अंको दोनो में लिखी जाएगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। त्रुटि या उपरिलेखन की स्थिति में बोली दाता के लघु हस्ताक्षर होने चाहिए।

15. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ0ओ0आर0 उदृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु कर आदि को शामिल न करके अलग से दिखाना चाहिए।
16. ठेकेदार फर्म संविदा को या उसके सारवान भाग का किसी अन्य एजेंसी को नहीं सौंपेगा या उपमोड (सबलेट) पर नहीं देगा।
17. अनुसूची में अंकित वस्तुओं की बोली के साथ उचित रूप से पैक की गई बोली वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किये जाएंगे। प्रत्येक नमूने पर मजबूती से चिपकाई गई किसी मजबूत कागज की पर्ची पर बोली दाता का नाम मद की क्रम संख्या जिसका अनुसूची में नमूना है लिखे जायेंगे।
18. अनुमोदित नमूनों को संविदा के समाप्त होने के 6 माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन नमूनों को परीक्षण जाँच के दौरान किसी भी नुकसान टूट-फूट हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी।
19. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द किया जायेगा तथा बोली दाता द्वारा केता अधिकारी द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
20. प्रस्तुत दरों से यदि किसी अन्य विभाग को कम दरों पर आपूर्ति की गई तो विभाग को भी उसी दर पर आपूर्ति देनी होगी तथा यदि आपूर्ति नहीं की गई तो सम्बन्धित फर्म की धरोहर राशि जब्त करने का अधिकार संस्थान ह0च0मा0 रीपा जयपुर को होगा।

(हस्ताक्षर बोली दाता)

5

अनुसूची – ए
विधुत सामग्री

दिनांक 1.7.2015 से 30.6.2016 हेतु दर संविदा किये जाने वाले विधुत सामान की सूची

आईटम संख्या	वस्तु का नाम मय विनिर्देशों के	नाप/कलर	सप्लाई किये जानवाले सामान की कम्पनी	प्रति नग दर रूपये	प्रति नग वेट रूपये	प्रति नग कुल किमत

1	ट्यूब लाईट डण्डे	20 वाट 2फुट वाले व 36 एवं 40 वाट वाले				
2	ट्यूब लाईट स्टार्टर	वाट 20				
3	ट्यूब लाईट स्टार्टर	36 व 40 वाट				
4	ट्यूब लाईट चॉक /सी.एफ.एल. चॉक	36 व 40 वाट कॉपर / 11 वाट कॉपर				
5	स्वीच	5 एवं 15 एम्पीयर				
6	श्री पिन साकेट	5 एवं 15 एम्पीयर				
7	ए.सी. के टॉप सॉकिट					
8	बैल बुश	डिब्बी टाईप				
9	कन्डेन्सर	2.5 एम.डी.,3 व 4 एम.डी.				
10	इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर	300 एवं 600 वाट				
11	ट्यूब लाईट साईड होल्डर					
12	वायर	श्री कोर 2.5 एम. एम.				
13	फलेक्सीबल वायर	40 / 76 टू कोर एवं श्री कोर				
14	पी.वी.सी. टेप रोल					
15	आईसोलेटर 63 एम्पीयर	श्री कोर एवं 4 कोर				
16	आईसोलेटर सिंगल फेस	40 एम्पीयर टू कोर				
17	पिग्नी बल्ब	15 वाट				
18	काम्टलग्स बल्ब (फोकस लैम्प)	60 वाट				
19	बजर धन्टी					

20	टू-पिन-टॉप	5 एवं 16 एम्पीयर				
21	वायर सिंगल कोर	1.5 एम.एम .2.5 एमएम .4 एम.एम.				
22	बटन होल्डर जम्बू					
23	सी.एफ.एल. प्लोर पीएल पिन टाईप	36 वाट				
24	सी.एफ.एल. लाईट होल्डर टाईप	9 एवं 15 वाट				
25	सी.एफ.एल. लाईट पिन टाईप	11,वाट 15 वाट एवं 18 वाट फिलिप्स / बजाज				
26	प्वाइन्ट एक्सटेन्शन कोड पावर वाला	15 एम्पीयर				
27	मल्टी प्लग	5,एवं 15,एम्पीयर				
28	थ्री पिन टॉप	5 एवं 15 एम्पीयर				
29	केबिल 10 एम.एम. 2 फेस					
30	एम सी..बी हेवल्स	6, एम्पीयर 10, एम्पीयर 32 एम्पीयर				
31	मल्टीप्लक	5 एवं 15 एम्पीयर				
32	थ्री फेज 4 कौर	5एमएम आर्मड केबिल				
33	गार्डन लाईट के गोले					
34	मरकरी बल्ब	125 वाट				
35	मरकरी चॉक	125 वाट				
36	मरकरी होल्डर					
37	सोडियम बल्ब	250 वाट				
38	सोडियम चॉक	250 वाट				

39	सोडियम लाईट के होल्डर					
40	सोडियम चॉक	400 वाट				
41	इग्नेंटर	250 वाट				
42	सोडियम लाईट के कन्डेन्सर					
43	एल्यूमिनियम टेपिंग केवल टू कौर	4 एम.एम.				
44	एल ई.डी. ट्यूब लाईट राड	36 व 40 वाट				
45	सी.एफ.एल. चॉक	15 वाट				

- नोट:-1 समस्त सामग्री की आई एस आई मार्का की दरें प्रस्तुत करें।
2 आवश्यकता होने पर सेम्पल प्रस्तुत करना होगा।

हस्ताक्षर बोली दाता मय मोहर

8

राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान ,
जवाहरलाल नेहरू मार्ग ,जयपुर-302017

संविदा अवधि दिनांक (01.07.2015 से 30.06.2016)

वार्षिक अनुबंध एवं सेवायें प्रदत्त करने के संबंध में
खुली बोली के लिए बोली एवं संविदा की शर्तें

टिप्पणी: बोलीताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली को बोली सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा बोली:-बोली वास्तविक डीलरों /सेवा दाताओं द्वारा ही दी जाएगी। इस संबंध में घोषणा प्रस्तुत करेंगे।
3. (1) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
(11) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त होगी।
4. बिक्री कर/सेवा कर चुकता प्रमाण पत्र: कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, बिक्री कर/सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह

बोली नहीं दे सकेगा। बिक्री कर/सेवा कर पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) तथा कर चुकता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

5. आयकर चूकती प्रमाण-पत्र:-बोलीदाताओं को संबंधित सर्किल के आयकर अधिकारी से आयकर चूकती प्रमाण पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। आयकर शोधन प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर भी बोली पर विचार किया जा सकेगा।

6. बोली प्ररूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैसिल से भरी गयी किसी भी बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली के समरूत निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

7. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर/मुल्य संवर्धित कर (VAT) एवं केन्द्रीय बिक्री करों की राशि को पृथक-पृथक से दिखाना चाहिए।

9

8. विधिमान्यताबोली 1 वर्ष की अवधि (01.07.15 से 30.06.2016) के लिए विधिमान्य होंगी। ये दरें पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

9. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप-भाड़े पर नहीं देगा।

10. (i) सुपुर्दगी अवधि:- बोलीदाता, जिसकी बोली स्वीकार की जायेगी, उस सेवा/अनुबन्ध आदेश प्राप्त करने के 30 दिवस के भीतर सेवा/अनुबन्ध कार्य प्रारम्भ करने की व्यवस्था करेगा।

(ii) मात्रा की सीमा- आदेश को फिर से देना:- यदि बोली सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो बोलीदाता अपेक्षित सेवा/अनुबन्ध करने के लिए बाध्य होगा।

(iii) यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं बोलीदाता सेवाओं / वस्तुओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में प्राप्त करता है, तो बोलीदाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

1. **Bid security:-** (क) बोली के साथ 7500/- रु. की बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के पक्ष में नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट में माध्यम जमा कराई जायेगी:-

(ख) बोली प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय: असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई बोली प्रतिभूति राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोली के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य संपादन प्रतिभूति को नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

12 बोल प्रतिभूति राशि का समाहरण:- बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा।

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहाता है।

13.. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप: -

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों के लिए बोली स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको बोली के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 7 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

10

ii) बोली के समय जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति राशि को कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बोली प्रतिभूति राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नकद अथवा महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के नाम बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराई जायेगी।

(v) एक बार की खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों के अन्तिम सेवा/अनुबन्ध से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसकी संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे संतुष्ट हो जाने पर कि बोलीदाता के विरुद्ध कोई देय बकायें नहीं हैं, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(vi) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा:

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

14. भुगतान: (i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

1^प (i) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।

(ii) परिसमापित नुकसानी:- बोली प्रपत्र में अंकितानुसार परिसमापित नुकसानी की दरें प्रभावी होंगी।

1 (क) यदि सेवा/अनुबन्ध किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा/अनुबन्ध को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ख) यदि सेवा/अनुबन्ध करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।

15. बोलीदाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।

11

16. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी बोली को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

17. क्रेता अधिकारी किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

18. बोलीदाता एक जोकि सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अधीन निर्धारित है को रूपये 500/-के नॉन ज्यूडिशियल पत्र पर निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

19. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को महानिदेशक,, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जायेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।

20. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएगी।

21. जो भी बोली विहित समय व तारीख के बाद प्राप्त होगी उन्हें रद्द कर दिया जाएगा।

22. लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त शर्तें इस बोली प्रपत्र का हिस्सा होगी।

बोलीदाता के
हस्ताक्षर मय मोहर

कमिक टिप्पणी

संस्थान द्वारा ट्यूब वैल मोटर की रिपेयर कार्य हेतु प्राप्त कोटेशन पत्रावली के पृष्ठ संख्या 101-109/सी. अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गयी थी।

प्राप्त निविदाओं पर विचार करने हेतु क्रय समिति की बैठक दिनांक 04 .06. 2015 को आयोजित की गई । बैठक में निम्न अधिकारी (सदस्य) उपस्थिति हुये :

- 1 संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी (भण्डार)
- 2 उप निदेशक (प्रशासन)
- 3 सहायक लेखाधिकारी (प्रथम)

पत्रावली के पृष्ठ संख्या 101-109/सी. के क्रम में निम्न फर्मों से सीलबन्द निविदाएं प्राप्त हुयी:-

1. अनुभव इलेक्ट्रिकल्स
2. श्री भगवती एन्टर प्राईजेज
3. मीणा इलेक्ट्रिकल्स

उपरोक्त फर्मों द्वारा प्रस्तुत दरों का पत्रावली पर संलग्न तुलनात्मक विवरण पत्र अनुसार क्रय समिति द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें अधिकतम आईटम्स में न्यूनतम दरें मैसर्स, मीणा इलेक्ट्रिकल्स जयपुर की पायी गई ।

अतः क्रय समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरान्त न्यूनतम दर दाता फर्म मै0 मीणा इलेक्ट्रिकल्स को निम्नानुसार अनुमोदित दरों पर अनुबंध कार्य हेतु कार्यादेश प्रदान किए जाने हेतु अनुशंषा करती है:-

क्र.सं.	समग्री का नाम	राशि रूप्ये
1	पम्प रिपेयरिंग	5000.00
2	लेरिंग अनलोरिंग	4000.00
3	मोटर रिवाइंडिंग	4000.00
4	बुश बेयरिंग	1600.00
5	5 सूत बोल्ट	960.00
6	रबर सीट	360.00
9	कुल राशि	15920.00

संयुक्त निदेशक एवं प्रभारी अधिकारी (भण्डार) उप निदेशक (प्रशा.) सहा.लेखाधिकारी (प्रथम)

राजस्थान-सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
जवाहर लाल नेहरू मार्ग ,जयपुर-302017
ट्यूब वैल मोटर की रिपेयर कार्य हेतु फर्मों
से प्राप्त निविदा दरों का तुलनात्मक विवरण पत्र

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	फर्म का नाम
----------	------------------	-------------

		अनुभव इलेक्ट्रिकल्स	श्री भगवती एन्टर प्राईजेज	मीणा इलेक्ट्रिकल्स
		दर प्रति (रु०)	दर प्रति (रु०)	दर प्रति (रु०)
1	लोअर अनलोवर	4000.00	4000-00	4000.00
2	पम्प रिपेयरिंग पार्टस सहित	5500.00	5200.00	5000.00
3	नट बोल्ट रबर सीट	1500.00	1400.00	1320.00
4	मोटर रिपेयर	4000.00	4000.00	4000.00
5	ब्रुश बेयरिंग	1700.00	1600.00	1600.00
	कुल राशि	16700.00	16200.00	15920-00
	शर्ते	पुराना सामान देय नहीं होगा।	पुराना सामान देय नहीं होगा।	पुराना सामान देय नहीं होगा।

संयुक्त निदेशक एवं
प्रभारी अधिकारी (भण्डार)

उप निदेशक(प्रशासन)

सहायक लेखाधिकारी एवं
सहा. प्रभारी अधिकारी(भण्डार)